न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या: 058 / 2017
रज्जु दिनांकः 01 / 06 / 2017
निर्णय दिनांकः 10 / 07 / 2017

1. सुरज्ञान देवी पुत्री जमनालाल पत्नि रामलाल जाति बैरवा निवासी गंगातीकला तहसील मौजमाबाद हाल निवासी किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर।

.......वादीया

बनाम

1. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

---प्रतिवादी

वाद बाबत घोषणा व दूरूस्ती इन्द्रांज

अन्तर्गत धारा 88, 136

उपस्थितः

श्री रामावतार सैन एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादीया

निर्णय दिनांकः 10 / 07 / 2017

-: निर्णय :-

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादीया ने एक वाद घोषणा व इन्द्रांज दूरूस्ती का इस आशय का पेश किया कि आराज़ी खसरा नम्बर 173/9 रकबा 9 बीघा भूमि वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादीया 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर वादीया अपनी 1/2 हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त चली आ रही है व हिस्सानुसार लागन सरकारी अदा करती चली आ रही है। उक्त वर्णित आराजी वादीया ने पूर्व खातेदार प्रभात्या पुत्र बख्तावरा जाति हरिजन निवासी परवण तहसील फागी से जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1988 के क्रय की थी। जिसका पंजीयन उप पंजीयक फागी जिला जयपुर के यहां दिनांक 14.07.1988 को पुस्तक सं0 1 जिल्द संख्या 59 में पृष्ठ सं0 88 अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 43 के पृष्ठ सं0 ...... के क्रम सं0 406 पर पंजीबद्व किया गया। वादीया अनपढ एवं विवाहित पर्दानशीन स्त्री है, इसलिये वरवक्त विक्रय उक्त विक्रय पत्र में वादीया ने अपना नाम के आगे पिता का नाम लिख दिया गया एवं पति का नाम नही लिखा गया। जबकि उक्त आराजी वादीया ने विवाह के उपरान्त ही क्रय की थी। तथा उसके पति ने ही विक्रेता को विक्रय प्रतिफल की राशि अदा की थी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर भरे गये नामान्तकरण में भी वादीया का नाम विक्रय पत्र के अनुसार ही दर्ज कर दिया गया। जिसकी वादीया को जानकारी नही हुई। जबकि वादीया के अन्य सभी राजकीय एवं अर्द्व सरकारी सभी दस्तावेजात में वादीया का नाम सुरज्ञान देवी पत्नि रामलाल बैरवा ही दर्ज है। वादग्रस्त आराजी वादीया की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय शुदा सम्पति है जिसमें वादीया का 1/2 हिस्सा है। वादीया अपने हिस्से 1// की आराजी पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है परन्तु राजस्व रिकार्ड में नाम सही नही होने से वादीया राजकीय सुविधाओं से वंचित है। एवं न ही अपनी आराजी को अन्य काम में ले पा रही है। दिनांक 23.05.2017 को जब वादीया ने उक्त आराजी पर के.सी.सी बनाने के लिये पटवारी हल्का

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

से सम्पर्क किया तब वादीया को सम्पूर्ण तथ्यों का पता लगा। जब वादीया ने इस सम्बन्ध में प्रतिवादी सं0 1 से मिली तो उसने खाता दुरूस्त करने से इंकार कर दिया एवं इसलिये यह वाद पत्र विरूद्व पगतिवादीगण घोषणा एवं दुरूस्ती इन्द्राज का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सुरज्ञान देवी पुत्री जमनालाल दर्ज है लेकिन वादीया विवाहित है तथा वादग्रस्त आराजी उसके पति की स्वअर्जित सम्पति है जिसका दीगर व्यक्ति से कोई समबन्ध व सरोकार नही है। ऐसी स्थिति में यदि राजस्व रिकार्ड में वादीया का नाम सुरज्ञानन देवी पुत्री जमनालाल पत्नि रामलाल जाति बैरवा निवासी गंगातीकला तहसील मोजमाबाद हाल निवासी किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर नही किया गया तो वादीया को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा तथा वादीया राजकीय सुविधाओं से वंचित हो जावेगी। इसलिये भी यह वाद पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वाद कारण दिनांक 23.05. 2017 को प्रतिवादी द्वारा वादीया के खाते की दुरूस्ती से इंकार करने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। वाद कारण से वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वादीया ने वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया का वाद विरूद्व प्रतिवादी डिक्री किया जाकर घोषणा इस आशय की कि जावे कि वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादीया 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकार्ड में सुरज्ञान देवी पुत्री जमनालाल पत्नि रामलाल जाति बैरवा निवासी गंगातीकला तहसील मौजमाबाद हाल निवासी किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर की दुरूस्ती किया जावें।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी जारी की गयी। प्रतिवादी पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया गया, जो शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया कि वादीनी ने विक्रय पत्र विवाहित होने के बाद करवाया था। जिसमें सुरज्ञान देवी पुत्री जमनालाल बैरवा दर्ज है। एवं वर्तमान राजस्व रिकार्ड में उक्त नाम ही दर्ज है।

वादीया ने साक्ष्य में रामलाल पुत्र घासी जाति बैरवा निवासी किशोरपुरा तहसील फागी के शपथ पत्र पेश किये।

हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। वादीनी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14.07.1988, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादी दस्तावेज पेश किये है जिनमें वादीनी का नाम सुरज्ञान पत्नि रामलाल अंकित है। विक्रय पत्र में सुरज्ञान पुत्री जमनालाल बैरवा अंकित है। गवाह रामलाल पुत्र घासी, जो कि वादीया का पति है। गवाह ने अपने शपथ पत्र में बताया है कि वादग्रस्त भूमि वादीया ने विवाह के उपरान्त ही क्रय की थी। पति होने के नाते विक्रेता को विक्रय प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि मेरे द्वारा अदा की थी। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन से यह जाहिर है कि वादीया रामलाल की पत्नि है व जमनालाल की पुत्री है। इसलिये राजस्व रिकार्ड में सुरज्ञान पुत्री जमनालाल पत्नि रामलाल जाति बैरवा दुरूस्त किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वादीनी का वाद डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 173/9 रकबा 9 बीघा भूमि वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात में सुरज्ञान पुत्री जमनालाल बैरवा निवासी गंगातीकला तहसील मोजमाबाद के स्थान पर सुरज्ञान देवी पुत्री जमनालाल पत्नि रामलाल जाति बैरवा हाल निवासी किशोरपुरा तहसील फागी दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 10.07.2017 को फॉलोअप कोर्ट केम्प फागी में मजमेआम सुनाया गया।

मुद्रा

(सावन कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट फागी)

पीठासीन अधिकारी :–सावन कुमार चायल (आर ए एस)

उनवान

सुरज्ञान देवी बनाम तहसीलदार

वाद घोषणा व दुरूस्ती इन्द्रांज

मुकदमा नम्बर :– 058/2017

निर्णय

दिनांक :– 10.07.2017

वादीया की ओर से रामावतार सैन एडवोकेट व प्रतिवादी पेरोकार सरकार उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 10.07.2017 को श्री सावन कुमार चायत (आर ए एस) पदेन उपखण्ड अधिकारी फागी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिक्री दी जाती है कि–

अतः वादीनी का वाद डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 173/9 रकबा 9 बीघा भूमि वाके ग्राम किशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात में सुरज्ञान पुत्री जमनालाल बैरवा निवासी गंगातीकला तहसील मोजमाबाद के स्थान पर सुरज्ञान देवी पुत्री जमनालाल पत्नि रामलाल जाति बैरवा हाल निवासी किशोरपुरा तहसील फागी दुरूस्त किया जाकर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पालना तहसीलदार फागी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 10.07.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

(सावन कुमार चायल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वादपत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. रूपयेपरप्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	NIL	1. शक्तिपत्र के लिए स्टाम्प 2. अर्जी के स्टाम्प 3. प्लीडर की फीस 4. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 5. आदेशिका की तामिल 6. कमिश्नर की फीस	NIL
जोड़		जोड़	

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

(सावन कुमार चायल)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी फागी